राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12683/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
रोहिताश नि0 आवास न. 312, राजस्थान पुलिस अकादमी, शास्त्री नगर, जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड तृतीय जयपुर, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06-04-2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।

2. मैंने पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

3. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 7-2-17 के द्वारा आर.पी.ए. स्थित सरकारी आवास नम्बर 312 की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में माह नवम्बर, 2014 से दिनांक 6-2-17 तक आर.पी.ए. स्थित पी.डब्ल्यू.डी. चौकी पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में 8 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

4. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है। अंकित किया है कि अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त अपीलार्थी सन्तुष्ट है एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि पत्र भी प्रस्तुत किया है जो कि अपीलोत्तर के साथ संलग्न प्रस्तुत है।

5. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

6. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

8. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त